पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 36/2019/प्रथम अपील

सविता कुमारी पुत्री श्री मातादीन अग्रवाल, मु. खेड़ी, पोस्ट जाजोद तहसील खण्डेला, जिला सीकर राज. 332722।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **सविता कुमारी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **26.08.2019** द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए :–

   1) जिला रसद अधिकारी कार्यालय सीकर (राज.) के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/रसद/अभियोजन/2019–467 दिनांक 15/07/2019 के पश्चात जारी होने वाले पत्र जो कि कुमारी सविता उचित मूल्य दुकानदार खेड़ी ग्राम पंचायत जाजोद तहसील खण्डेला सीकर को भेजे गये हो कि सत्यापित प्रतियों सहित डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज रिकोर्ड की प्रति, भारतीय डाक विभाग द्वारा भेजने के रसीद सहित डेलीवरी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिया देवें।

   2) जिला रसद अधिकारी कार्यालय सीकर में दिनांक 15/07/2019 के बाद कुमारी सविता उचित मुल्य दुकानदार खेड़ी ग्राम पंचायत जाजोद तहसील खण्डेला सीकर को किसी भी सूचना के बारे में अवगत करवाया गया हो तो उनके प्रमाण की सत्यापित प्रति देवें।

   साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता तथा आपके विभाग में वर्तमान लोक

सूचना अधिकारी का नाम व पता तथा सूचना को संधारित करने वाले वर्तमान क्लर्क का नाम व पता बताइये।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्रीमती सुनिता वर्मा प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **24.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 24.10.2019 से अपीलार्थी को बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर